न्यायालय– जिला न्यायाधीश, डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन (राज.) ।

पीठासीन अधिकारी :– नाहर सिंह मीणा, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल अपील प्रकरण सं. :– 46/2019

सी.एन.आर. नंबर :– RJDK010009952019

1. नारायणी देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी (मृत्यु),
2. रामावतार गट्टाणी पुत्र स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी,
3. पुष्पा पुत्री स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी,
4. वीणा पुत्री स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी,
5. संतोष पुत्री स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी,
6. मधुबाला पुत्री स्वर्गीय स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी पत्नी श्री ओमप्रकाश, स्वर्गीय इन्द्रादेवी के वारिसान–
7. विष्णु कांता माता इन्द्रा देवी,
8. भगवान माता इन्द्रा देवी,
9. पवन कुमार माता इन्द्रा देवी,

वादी सं.3 से 9 जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी वादी सं.2, निवासी–नृसिंह चौक, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. दामोदर गट्टाणी पुत्र श्रीराम गट्टाणी(फौत) के वारिसान–

1/1– उषादेवी गट्टाणी पत्नी दामोदर गट्टाणी,

1/2– भरत कुमार पुत्र स्वर्गीय दामोदर गट्टाणी,

निवासीयान–नया नगर, डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन ।

1/3– आरती बंग पुत्री स्वर्गीय दामोदर गट्टाणी पत्नी नटवर बंग, निवासी–मलार, बैंगलोज, भड़ुज– गुजरात ।

1/4– प्रियंका पुत्री स्वर्गीय दामोदर गट्टाणी पत्नी गिरीश कांकाणी, निवासी–सांई बाका मंदिर के पास, बोई वाड़ा, करीम नगर, तेलगांना ।

2. भरत कुमार पुत्र स्वर्गीय दामोदर गट्टाणी, निवासी–नया नगर, डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन ।

–प्रत्यर्थीगण.

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2019 जो श्रीमती रंजना (आर.जे.एस.) सिविल न्यायाधीश, डीडवाना द्वारा दीवानी मूल वाद सं. 22/2015, बउनवान नारायणीदेवी वगैरह बनाम दामोदर वगैरह में पारित किया गया, से व्यथित होकर पेश की गई ।

उपस्थितः–

1. श्री रामगोपाल व श्री समन्दर सिंह, विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण की ओर से ।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से ।

– आदेश – दिनांक 21.04.2026

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थीगण नारायणीदेवी वगैरह द्वारा प्रत्यर्थीगण दामोदर वगै. के विरूद्ध, न्यायालय सिविल न्यायाधीश, डीडवाना (जिसे आगे निर्णय के दौरान विचारण न्यायालय

के नाम से संबोधित किया जायेगा) द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं.22/2015, बउनवान नारायणीदेवी वगै. बनाम दामोदर वगै. में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 16.10.2019 से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांक 11.11.2019 को प्रस्तुत की गई है ।

2. अपीलार्थीगण के अनुसार हस्तगत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादी पक्ष दोनों एक ही परिवार के हैं तथा स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी के वारिसान हैं । प्रत्यर्थी सं.1 उनका सबसे बड़ा पुत्र है, जिसके बाल्यकाल में स्वर्गीय श्रीराम जी गट्टाणी ने अपने बड़े पुत्र दामोदर के नाम से वर्ष 1977 में एक आवासीय संपत्ति क्रय की । उक्त संपत्ति दामोदर के नाम से क्रय अवश्य की गई, किंतु वह संपत्ति संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की संयुक्त आय से परिवार के मुखिया स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी द्वारा अदा की गई थी, मगर संपत्ति खरीद में क्रयनामा सबसे बड़े पुत्र दामोदर के नाम से बनवाया गया था । तत्पश्चात् 1977–78 में पुरानी इमारत को हटाकर स्वर्गीय श्रीराम जी द्वारा नया निर्माण आवास बनाया गया। उस वक्त बड़े पुत्र दामोदर की आयु लगभग 18 वर्ष की थी, जिसकी स्वयं की कोई आय नहीं थी। स्वर्गीय श्रीरामजी गट्टाणी का देहान्त वर्ष 2013 में हो गया, उसके बाद किसी किराये की दुकान खाली करने को लेकर उक्त गट्टाणी परिवार में परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे उक्त संपत्ति पर अकेला बड़ा पुत्र दामोदर हक जताने लगा है, जबकि शेष परिवारजन/अपीलार्थीगण सात हिस्सेदार और हैं । इस प्रकार 7/8 हिस्सा वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष का तथा 1/8 हिस्सा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी एवं दामोदर व उसके पुत्र भरतकुमार का है । उपरोक्त आधार पर वादीगण/अपीलार्थीगण ने अपना हक, हिस्सा पृथक कराने आदि का वाद विचारण न्यायालय में पेश किया, जिसका जवाबदावा प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण ने पेश कर कथन किया कि वादगत संपत्ति प्रतिवादी सं.1 द्वारा निजी आय से खरीद कर नगरपालिका मण्डल, डीडवाना से तामिर इजाजत लेकर मकान का नवनिर्माण कराया गया । उक्त मकान क्रय में वादी के पिता का कोई सहयोग नहीं रहा, प्रतिवादी उक्त मकान को किरायेदारी में देता रहा है । प्रतिवादी का यह भी कथन रहा है कि उसकी उम्र 23 वर्ष थी, न कि 18 वर्ष तथा वह परिवार से अलग होकर मेहनत, मजदूरी करने लगा था, जिसकी निजी आय से उक्त मकान क्रय किया जाना बताते हुये वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

3.पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नांकित विवाद्यक विरचित किए गए–

1. क्या वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा करवाने के हकदार हैं कि वादपत्र के पैरा सं.1 में वर्णित संपत्ति में वादीगण का 7/8 हिस्सा है?
–वादीगण.
2. क्या वादगण पैत्रृक संपत्ति होने के आधार पर उपर्युक्त पैरा सं.1 में वर्णित संपत्ति का विधिवत बंटवारा करवाने के हकदार हैं?
–वादीगण.
3. क्या वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के हकदार हैं कि प्रतिवादी उपर्युक्त विवादग्रस्त संपत्ति में वादी पक्ष के हक व हिस्से तक की संपत्ति में हस्तक्षेप अथवा अवरोध या संपत्ति का अंतरण ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें?
–वादीगण.
4. क्या वाद की विषयवस्तु का मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किये जाने के कारण वाद पोषणीय नहीं है?

–प्रतिवादीगण.

5. यह कि क्या वाद हेतुक पैदा होने की दिनांक अंकित नहीं किये जाने के अभाव में वाद पोषणीय नहीं है?

–प्रतिवादीगण.

6. अनुतोष?

4.वादी पक्ष की ओर से अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के दौरान पी.डब्ल्यू.1 रामअवतार को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श.1 पंजीकृत विक्रय–पत्र, प्रदर्श.2 आरटीआई के तहत वादी द्वारा प्राप्त सूचना पत्र, प्रदर्श.3 प्रतिवादी दामोदर द्वारा प्रस्तुत वाद, प्रदर्श.4 शपथपत्र, प्रदर्श.5 वादी द्वारा प्रस्तुत आम मुखत्यारनामा, प्रदर्श.6 वादी के पिता श्रीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया ।

5.प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाबदावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यू.1 दामोदर गट्टाणी, डी.डब्ल्यू.2 नेमीचंद को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए.1 दामोदर द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका की रसीद दिनांक 23.12.1997, प्रदर्श ए.2 राज.स्टेट बिजली बोर्ड की रसीद, प्रदर्श ए.3 नगरपालिका की गृहकर रसीद 03.12.1997, प्रदर्श ए.4, नगरपालिका की ईजाजत रसीद, प्रदर्श ए.5 नगरपालिका द्वारा जारी तामीर ईजाजत नक्शा, प्रदर्श ए.6 नगरपालिका द्वारा जारी निर्माण आज्ञा पत्र, प्रदर्श ए.7 वादग्रस्त संपत्ति का किराया इकरारनामा दिनांक 03.08.2001, प्रदर्श ए.8 प्रतिवादी दामोदर का स्कूल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र को प्रदर्शित करवाया गया है ।

6.तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनकर प्रकरण के तहत विरचित विवाद्यक सं.1, 2 व 3 वादीगण के विरुद्ध तय करते हुये वादीगण का वाद दिनांक 16.10.2019 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर विवाद्यक सं.1, 2 व 3 के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है ।

7. अपील के आधारों में अपीलार्थीगण द्वारा उल्लेखित किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का सही रूप से विश्लेषण नहीं किया गया । प्रदर्श.1 क्रयनामा दिनांक 19.11.77 का पंजीकृत दस्तावेज बड़े पुत्र दामोदर के नाम का होने मात्र से विद्वान विचारण न्यायालय ने इस बात की गहराई में नहीं जाने में भारी त्रुटि की है । प्रतिवादी दामोदर की उम्र, दामोदर के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग होने, दामोदर के स्वतंत्र व्यवसाय, दामोदर की निजी आय, किरायानामा दामोदर के नाम से लिखने, स्वयं प्रतिवादी दामोदर द्वारा अपने पिता के साथ उनकी मृत्यु के समय तक साथ व्यापार करने आदि के तथ्यों के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा विश्लेषण नहीं करना भारी ताथ्यिक भूल है । प्रदर्श.2 अविवादित दस्तावेज वाणिज्य कर अधिकारी का पत्र है, जिसके अनुसार प्रथम बार दामोदर ने दिनांक 15.03.1978 को माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से कारोबार प्रारम्भ किया है । विवादित मकान खरीदते समय दामोदर प्रसाद प्रतिवादी मात्र 18 वर्ष की आयु का है और सबसे बड़े भाई थे और संयुक्त परिवार था । दोनों भाई पिता श्रीराम गट्टाणी के साथ रहते थे । उस समय पिता श्रीराम गट्टाणी ने वादगत संपत्ति खरीदी थी व विक्रय पत्र बड़े पुत्र दामोदर के नाम करा दिया । उस समय प्रतिवादी दामोदर की किसी भी प्रकार की आय किसी भी स्त्रोत से नहीं थी, जो सभी तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज करने में विधिक भूल की है । विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के आधारों में वर्णित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुये अंत में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया। विद्वान

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए–

1. ए आई आर 1960 एससी 100,
   नारायण भगवंतराव गोसवी बनाम गोपाल विनायक गोसवी ।
2. 2007(2)अपेक्स कोर्ट जजमेंट 368(एससी),
   मखनसिंह जरिए प्रतिनिधि बनाम कुलवंत सिंह ।
3. 2017(3)अपेक्स कोर्ट जजमेंट 730 (एससी), आदिवेप्पा व अन्य बनाम भिमप्पा व अन्य ।
4. सिविल अपील नं.(एस).2129–2130/2012,
   दोराईराज बनाम दोराईसमी जरिये विधिक प्रतिनिधि, निर्णय दिनांक 05.02.2026
5. 1988 ए आई आर 1796,
   बिरदमल सिंघवी बनाम आनन्द पुरोहित ।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुये दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय/डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गई है। अंत में अपीलार्थी की अपील खारिज कर आलौच्य निर्णय व डिक्री की पुष्टि किये जाने का निवेदन किया।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का समग्रता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया । विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर विरचित विवाद्यकों पर पारित निर्णय के संबंध में इस न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है–

10. **<u>विवाद्यक संख्या 1 –</u>** विवाद्यक सं.1 को साबित करने का भार वादीगण/अपीलार्थीगण पर था, जिसमें वादीगण/अपीलार्थीगण को यह साबित करना था कि क्या वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा करवाने के हकदार हैं कि वादपत्र के पैरा सं.1 में वर्णित संपत्ति में वादीगण का 7/8 हिस्सा है । विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त विवाद्यक सं.1 को वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया है । इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो वादी रामअवतार पी.डब्ल्यू.1 के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने इस विवाद्यक के संबंध में कथन किया है कि मृतक श्रीराम गट्टाणी के सात संताने, दो लड़के व पांच लड़कियां हैं । नृसिंह चौक में जो मकान है वह पुश्तैनी है, जो उसके दादाजी व बाबाजी के नाम है । नृसिंह चौक का मकान श्रीराम गट्टाणी के बंट में आया था । दुकान का मुकदमा चल रहा था, उस समय वादी बाहर रह रहा था, उसकी पैरवी प्रतिवादी सं.1 दामोदर ने की थी । उसके पिता ने अपने जीवनकाल में पैतृक संपत्ति का विक्रय किया था । उन दोनों भाइयों के बीच, इस मुकदमे के अलावा, तीन मुकदमे चल रहे हैं । विवादित संपत्ति संयुक्त पारिवारिक पैतृक संपत्ति से खरीदी हुई है और उसके पिता जी डीडवाना छोड़कर कहीं नहीं गये ।

11. डी.डब्ल्यू.1 दामोदर ने इस विवाद्यक के संबंध में कथन किया है कि उसके मकान संबंधी दस्तावेज प्रदर्श ए.1 नगरपालिका की रसीद, प्रदर्श ए.2 राजस्थान स्टेट बिजली बोर्ड की रसीद, प्रदर्श ए.3 नगरपालिका की गृहकर की रसीद, प्रदर्श ए.4 नगरपालिका की इजाजत, प्रदर्श.5 नगरपालिका द्वारा जारी तामीर इजाजत नक्शा, प्रदर्श.6 नगरपालिका द्वारा जारी निर्माण आज्ञा पत्र, वादग्रस्त संपत्ति का किराया संबंधी इकरारनामा प्रदर्श ए.7 तथा

प्रतिवादी दामोदर प्रसाद का स्कूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदर्श ए.8 के रूप में प्रदर्शित करवाये हैं तथा इस गवाह ने भी श्रीराम गट्टाणी के पांच लड़कियां व दो लड़के होना स्वीकार किया है तथा श्रीराम गट्टाणी की पत्नी उस समय मौजूद थी । जब वह छोटा था तब संयुक्त परिवार में रहता था । उसने परमानंद स्कूल में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया था। वह पांचवीं कक्षा तक पढ़ा–लिखा है। शादी के समय उसकी उम्र कितनी थी, उसे पता नहीं । वह 20–21 साल तक श्रीराम जी के साथ रहा था । श्रीराम जी परिवार के कर्ता–धर्ता थे। लेकिन इस गवाह ने वादीगण के इन सुझावों से इंकार किया है कि श्रीराम ने परिवार के कर्ता के रूप में उक्त संपत्ति खरीदी हो, उक्त संपत्ति संयुक्त परिवार की हो । वह कपड़े का व्यापार करता था, मजदूरी करना बताया है, लेकिन उसने अपना कोई हिसाब–किताब पेश नहीं किया है । दिन में कितने रुपये कमा लेता था, इसका भी कोई हिसाब पेश नहीं किया है । प्रतिवादी ने वादीगण के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह श्रीराम गट्टाणी के साथ प्रदर्श.3 के अनुसार उसने उसकी माता नारायणीदेवी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था, जो प्रदर्श.3 है, जिसमें उसने अपनी उम्र 56 वर्ष बताई थी और कथन किया था कि वह अपने पिता के साथ उक्त दुकान पर अपना व्यवसाय निर्विवाद रूप से कर रहा था। उक्त दावा प्रतिवादी ने दिनांक 06.02.2015 को पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में वादी रामअवतार व प्रतिवादी दामोदर के पिता की मृत्यु जनवरी, 2013 में हुई थी, उसके बाद भी वह श्रीराम गट्टाणी की दुकान पर काम कर रहा था ।

12. संयुक्त संपत्ति के संबंध में वादीगण ने यह तथ्य प्रमाणित कराया किया है कि श्रीराम गट्टाणी ने अपने जीवनकाल में उक्त विवादित संपत्ति खरीदी थी और उनके पास उक्त संपत्ति खरीद करने के स्त्रोत थे, लेकिन प्रतिवादी दामोदर ने इस तथ्य को इंकार/अस्वीकार किया है तथा उसने उक्त संपत्ति अपनी निजी आय से खरीद करना बताया है। ऐसी स्थिति में सबूत का भार उस व्यक्ति पर चला जाता है, जो उक्त संपत्ति अपनी स्वअर्जित आय से खरीद करना कथित करता है, लेकिन प्रतिवादी ने प्रदर्श 4 के सी से डी भाग में अंकित कथनों को स्वीकार किया है। प्रदर्श.4 आवेदन पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा में दामोदर गट्टाणी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र है, जिसमें तस्दीक में यह अंकित है कि**"मैं दामोदर गट्टाणी पुत्र श्री राम गट्टाणी जाति माहेश्वरी आयु 56 वर्ष निवासी नया नगर डीडवाना जिला नागौर राज 0 वाला तस्दीक करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तमाम तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान जानकारी से सही है।"** प्रदर्श.3 में पैरा सं.3 के अंत में यह अंकित किया है कि **वह अपने पिता के साथ उक्त दुकान में अपना व्यवसाय निर्विवाद रूप से करता रहा है**। उसके पिता ने संपत्ति बेची थी। उक्त विक्रयपत्र प्रदर्श.1 वर्ष 1977 में निष्पादित किया था, इस तरह 1977 में प्रतिवादी की उम्र 18 वर्ष के लगभग होती है। तत्समय प्रतिवादी की क्या आय थी, इस संबंध में वह मौन है तथा उसने इस संबंध में ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज भी पत्रावली पर पेश नहीं किया है तथा न ही इस तथ्य को अपनी साक्ष्य से साबित कराया है। प्रतिवादी ने अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श ए.1 लगायत प्रदर्श ए.6 पेश किये हैं, उपरोक्त दस्तावेज मकान निर्माण की कार्यवाही से संबंधित हैं, जो स्थानीय नगरपालिका से जारी कराए गए हैं, लेकिन उक्त दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी के स्वामित्व की हो। प्रदर्श.7 व 8 किरायानामा हैं। प्रतिवादी के नाम पंजीकृत फर्म की नकल वादी ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की थी, जिसके अनुसार प्रतिवादी सं.1 दामोदर गट्टाणी के नाम मैसर्स माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से पंजीकृत उक्त फर्म प्रदर्श.2 दिनांक 15.03.1978 को सुचारू रूप से चालू हुई है। प्रदर्श.1 विक्रयपत्र निष्पादित करते समय प्रतिवादी दामोदर के पास उसकी आय का क्या स्त्रोत रहा था तथा श्रीराम गट्टाणी के

परिवार का बंटवारा हो गया हो, इस संबंध में प्रतिवादी दामोदर ने कोई उल्लेख नहीं किया है, साथ थी उक्त दस्तावेज प्रदर्श.1 के निष्पादन के समय उसकी क्या उम्र थी, इस संबंध में उक्त दस्तावेज में कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी दामोदर ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श.3 व 4 में वर्णित तथ्य सी से डी सही हैं तथा उन पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसके अनुसार प्रतिवादी दामोदर ने अपनी माता नारायणीदेवी के विरुद्ध दावा पेश किया था । इस तरह प्रतिवादी अपने पूर्व के कथनों एवं आचरण से विबंधित है । प्रतिवादी दामोदर ने वादीगण के कई सुझावों व तथ्यों को स्वीकार किया है। यद्यपि सिविल मामलों में स्वीकृति का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है, लेकिन यह सुसंगत अवश्य होती है।

13. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी दामोदर ने प्रतिरक्षा में वादीगण के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि **वह बचपन से श्रीराम जी गट्टाणी के साथ रहा है, वह 20–21 साल तक श्रीराम जी के साथ रहा है, उसके पिताजी ही उनके परिवार के कर्ता–धर्ता थे, उस समय वह कपड़े का हिसाब–किताब रखता था, उक्त हिसाब–किताब उसने पत्रावली में पेश नहीं किया है, उसके द्वारा परिवार से अलग होने का कोई लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, उसकी आय बाबत पत्रावली पर पेश नहीं किया है, जिस समय संपत्ति खरीदी उस समय उसके पास आय के क्या स्त्रोत थे, यह उसने पत्रावली में पेश नहीं किया, वह उस समय अलग हो गया था, उस समय का उसने राशनकार्ड पेश नहीं किया, प्रदर्श 3 व 4 में उसकी आयु 56 वर्ष लिखी हुई है ।**

14. पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण इस तथ्य को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं कि वादग्रस्त संपत्ति श्रीराम गट्टाणी द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा थी और इस तथ्य की उपधारणा की जाती है । सिविल मामलों में केवल इंकारी से किसी तथ्य की संपुष्टि नहीं होती है । इंकारी के तथ्यों को अपनी साक्ष्य व विशिष्ट तथ्यों से साबित करना होता है । इस संबंध में प्रतिवादी दामोदर की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, केवलमात्र इंकारी की गई है।

15. अपील पेश करते समय श्रीराम गट्टाणी के कुल आठ वारिस थे, लेकिन अपील के दौरान नारायणीदेवी की मृत्यु निर्वसीयती हो जाने से अब केवलमात्र सात वारिसान ही बचे हैं, जिनका प्रत्येक का 1/7 हिस्सा विवादित संपत्ति में होना दर्शित होता है ।

16. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Makhan Singh(D) By Lrs. Vs Kulwant Singh 2007(2) Apex Court Judgments 368(S.C.) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> Joint Family Property– Burden to prove– Is on the person who asserts that property is joint family property– If person so asserting proves that there was nucleus with which the joint family property could be acquired, there would be presumption of the property being joint and the onus shifts on the person who claims it to be self acquired property to prove that he purchased the property with his own funds and not out of joint family nucleus that was available.

17. अतः विवाद्यक सं.1 का निर्णय वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध किया जाता है और विवाद्यक सं.1 के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गये निष्कर्ष को अपास्त किया जाता है ।

18. **<u>विवाद्यक सं.2–</u>** इस विवाद्यक को साबित करने का भार भी अपीलार्थीगण/वादीगण पर है, जिसमें अपीलार्थीगण/वादीगण को यह साबित करना है कि वादगण पैत्रृक संपत्ति होने के

आधार पर वादपत्र के पैरा सं.1 में वर्णित संपत्ति का विधिवत बंटवारा करवाने के हकदार हैं। विवाद्यक सं.1 के निर्णय में अपीलार्थीगण/वादीगण इस तथ्य को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं कि वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा थी, जिसका विधिवत बंटवारा नहीं किया था । चूंकि विवादित संपत्ति संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा होने से उक्त संपत्ति संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की होने से उस संपत्ति में उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रत्येक सदस्य का समान हिस्सा होना माना जाता है, इसलिये अपीलार्थीगण/वादीगण उक्त विवादित संपत्ति का विधिवत बंटवारा करवाकर अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी दर्शित होते हैं। इसलिये विवाद्यक सं.2 भी वादीगण/ अपीलार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं, जो अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है और विवाद्यक सं.2 के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गये निष्कर्ष को अपास्त किया जाता है ।

19. **विवाद्यक सं.3–** विवाद्यक सं.3 में वादीगण को यह साबित करना है कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के हकदार हैं कि प्रतिवादी उपर्युक्त विवादग्रस्त संपत्ति में वादी पक्ष के हक व हिस्से तक की संपत्ति में हस्तक्षेप अथवा अवरोध या संपत्ति का अंतरण ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें । इस संबंध में उपर्युक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीदशुदा होने से तथा श्रीराम गट्टाणी के परिवार की अविभाजित संपत्ति का विधिवत बंटवारा नहीं होने से उक्त संपत्ति संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की होने से उस संपत्ति में अपीलार्थीगण/वादीगण एवं प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण, जो कि एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य होकर उक्त विवादित संपत्ति में उक्त हिन्दू परिवार के प्रत्येक सदस्य का, प्रथम श्रेणी के वारिस होने से समान हिस्सा होने से अपीलार्थीगण/वादीगण उक्त विवादित संपत्ति के संबंध में प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित संपत्ति में अपने हक व हिस्से की हद तक हस्तक्षेप, अवरोध, अंतरण आदि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी होना दर्शित होने से यह विवाद्यक भी अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है ।

20. **विवाद्यक सं.4 व 5–** उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण पर है, जिनमें प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि वाद की विषयवस्तु का मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किए जाने के कारण वाद पोषणीय नहीं है व वाद हेतुक पैदा होने की दिनांक अंकित नहीं किए जाने के अभाव में वाद पोषणीय नहीं है । उक्त दोनों विवाद्यक विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किए गये हैं और अपीलार्थीगण/वादीगण ने उक्त दोनों विवाद्यकों के संबंध में कोई अपील भी पेश नहीं की है, न ही प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश की गई है । इसलिये उक्त दोनों विवाद्यकों के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से उक्त दोनों विवाद्यकों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

21. **विवाद्यक सं.6 अनुतोष से संबंधित है–** चूंकि अपीलार्थीगण/वादीगण अपने जिम्मे के विवाद्यक सं.1 लगायत 3 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं इसलिये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं.1 लगायत 3 के संबंध में पारित किए गये निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है ।

–आदेश–

22. परिणामतः नारायणी देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी (मृत्यु), 2.रामावतार गट्टाणी पुत्र स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी, 3. पुष्पा पुत्री स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी, 4.वीणा पुत्री स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी, 5.संतोष पुत्री स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी, 6.मधुबाला पुत्री स्वर्गीय स्वर्गीय श्रीराम गट्टाणी पत्नी श्री ओमप्रकाश, स्वर्गीय इन्द्रादेवी के वारिसान–7. विष्णु कांता माता इन्द्रा देवी, 8.भगवान माता इन्द्रा देवी, 9. पवन कुमार माता इन्द्रा देवी, वादी सं.3 से 9 जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी वादी सं.2, निवासी–नरसिंह चौक, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन की ओर से प्रस्तुत यह दीवानी मूल अपील विरुद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण 1.दामोदर गट्टाणी पुत्र श्रीराम गट्टाणी(फौत) के वारिसान– 1/1– उषादेवी गट्टाणी पत्नी दामोदर गट्टाणी, 1/2– भरत कुमार पुत्र स्वर्गीय दामोदर गट्टाणी, निवासीयान–नया नगर, डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन, 1/3– आरती बंग पुत्री स्वर्गीय दामोदर गट्टाणी पत्नी नटवर बंग, निवासी–मलार, बैंगलोज, भडुज– गुजरात, 1/4–प्रियंका पुत्री स्वर्गीय दामोदर गट्टाणी पत्नी गिरीश कांकाणी, निवासी–सांई बाका मंदिर के पास, बोई वाड़ा, करीम नगर, तेलगांना व 2. भरत कुमार पुत्र स्वर्गीय दामोदर गट्टाणी, निवासी–नया नगर, डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन विरुद्ध विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, डीडवाना के दीवानी मूल प्रकरण सं. 22/2015 बउनवान नारायणीदेवी वगैरह बनाम दामोदर व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2019 एतद्द्वारा स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि–

1. कि अपीलार्थीगण/वादीगण के मूल वाद के पैरा सं.1 में वर्णित विवादित अचल संपत्ति में वादीगण का 6/7 हक, हिस्सा व अधिकार एवं सहस्वामित्व एवं प्रत्यर्थी सं.1 दामोदर का 1/7 हक हिस्सा व अधिकार व सहस्वामित्व होना पाया जाता है ।
2. प्रकरण में अंतिम डिक्री के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय विवादित संपत्ति में पक्षकारान के हक, हिस्से व भौतिक स्थिति के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की भौतिक स्थिति का नजरी नक्शा मय वाद/अपील के पक्षकारान के हक–हिस्से की वास्तविक स्थिति मंगवाकर प्रकरण के अंतिम निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें ।
3. यह कि पक्षकारान विवादित संपत्ति के अंतिम निस्तारण तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे ।
4. खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे ।

तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे । इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय की तलविदा पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावें ।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना ।

23. आदेश आज दिनांक 21.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना।